संख्या– /XVIII(II)/2019–7(46)/2016

प्रेषक,

सुशील कुमार,
सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

राजस्व अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांक 26 फरवरी, 2019

विषयः–भूमि के विनियमितीकरण हेतु फरवरी, 2018 में निर्गत शासनादेश के प्रभाव की समय–सीमा समाप्त होने के कारण पुनः समयवृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन द्वारा वर्ष–2016 में निर्गत निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित शासनादेशों द्वारा विभिन्न श्रेणी की भूमि पर पट्टेदारों व अध्यासियों के अधिकारियों को विनियमित करते हुए संक्रमणीय भूमिधर के अधिकार प्रदत्त किये जाने का निर्णय लिया गया था, सम्प्रति उक्त शासनादेशों के प्रभावी रहने की समय–सीमा समाप्त हो चुकी है।

क0 सं0	विषय	शासनादेश संख्या/ दिनांक	निर्धारित समयावधि
1.	प्रदेश में वर्ग–4 की भूमि के अवैध कब्जों एवं पट्टेदारों को भूमिधरी अधिकार प्रदान करते हुए विनियमितीकरण किए जाने के सम्बन्ध में।	शासनादेश सं0–804/ XVIII(II)/2016-7(46)/2016 दि0 18 जुलाई, 2016	दि0 17 जुलाई, 2017 तक।
2.	प्रदेश में वर्ग–3 की भूमि के पट्टेदारों को संक्रमणीय भूमिधर के अधिकार प्रदान करते हुए विनियमित किए जाने के सम्बन्ध में।	शासनादेश सं0–426/ XVIII(3)/2016-20(25)/ 2012 दि0 22 जुलाई, 2016	दि0 21 जुलाई, 2017 तक।
3.	जनपद नैनीताल के नगर पंचायत क्षेत्र लालकुआं में अवैध कब्जेधारकों/ पट्टेधारकों को संक्रमणीय भूमिधर के अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में।	शासनादेश सं0–425/ XVIII(3)/2016-20(25)/ 2012 दि0 22 जुलाई, 2016.	दि0 21 जुलाई, 2017 तक।
4.	गवर्नमेंट ग्रान्ट एक्ट 1895 के प्राविधानों के अन्तर्गत दिये गये भूमि के पट्टेदारों को भूमि का मालिकाना हक/विक्रय का अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में।	शासनादेश सं0–1767/ XVIII(II)/2016-02(01)/ 2016,दि0 27 जुलाई, 2016.	दि0 26 जुलाई, 2017 तक।

.....2

2– शासनादेश संख्या–301/XVIII (II)/7(46)/2016, दिनांक 19 फरवरी, 2018 द्वारा उपरोक्त शासनादेशों के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में विभिन्न श्रेणी की भूमि पर पट्टेदारों एवं अध्यासियों के अधिकारों को विनियमित किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 01 वर्ष का (18 फरवरी, 2019 तक) का समय–विस्तार प्रदान किया गया था।

3– प्राप्त सन्दर्भों पर शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में श्री राज्यपाल महोदय उपर्युक्त समस्त शासनादेशों के अनुसार विनियमितीकरण हेतु निर्गत शासनादेश संख्या–301/XVIII(II)/7(46)/2016, दिनांक 19 फरवरी, 2018 की प्रभाव अवधि की सीमा को इस शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 01 वर्ष अर्थात 25–02–2020 तक बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

4– उपर्युक्त शासनादेश दि0 18 जुलाई, 2016, 22 जुलाई, 2016, 22 जुलाई, 2016, दि0 27 जुलाई, 2016 तथा शासनादेश दिनांक 19 फरवरी, 2018 की अन्य शर्ते/प्रतिबन्ध यथावत रहेगें।

भवदीय,

(सुशील कुमार)
सचिव (प्रभारी)।

संख्या– 293/XVIII(II)/2019 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
6– महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि उक्त प्रकरण का व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित किया जाय।
7– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डॉ0 मेहरबान सिंह बिष्ट)
अपर सचिव।